कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक 669/भू–अभि./2023 कांकेर, दिनांक 19-6-2023

–:: **अनापत्ति प्रमाण पत्र** ::–

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना ''भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–2'' के सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजुदा राईट–ऑफ–वे नीति के अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अभ्यारण्य/वन्यप्राणी वन क्षेत्र– एलिफेंट रिजर्व अंबिकापुर रकबा 1.462 हे., कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर रकबा 1.005 हे., गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ वनमण्डल रकबा 0.825 हे., इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर रकबा 5.880 हे., उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद रकबा 8.965 हे., बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदाबाजार वनमण्डल रकबा 1.137 हे., भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा वनमण्डल रकबा 3.597 हे. कुल रकबा 22.853 हे. का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नांकित भूमि का चयन कर निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है :–

वन मण्डल	परिक्षेत्र	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम	चयनित भूमि का विवरण			रोपण का प्रकार
			खसरा नं.	कुल रकबा	रोपण हेतु चयनित रकबा	
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	दुर्गूकोंदल	प.ह.नं.–11 ग्राम– चाउरगांव	213	18.400 हे.	2.967 हे.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु
	अंतागढ़	प.ह.नं.–4 ग्राम– पोड़गांव	174/1	16.550 हे.	10.427 हे.	
				योगः–	13.394 हे.	

यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम चाउरगांव एवं ग्राम पोड़गांव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

अतः चयनित राजस्व भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2(3) अन्तर्गत व्यपवर्तन के बदले क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 19 /06/2023

स्थान – कांकेर

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर,

जिला–उत्तर बस्तर कांकेर

D/pradarsh s/certificate